

न्यायालय अंचलाधिकारी सम्पतचक, पटना।

आदेश

दाखिल-खारिज केश नं०-2178/3 2012-13

आवेदक-श्री मनिल कुमार

पिता-श्री रामजी सिंह

05/2/13

दाखिल खारिज वाद संख्या-2178/3 12-13 आवेदक श्री अनिल कुमार, पिता- श्री रामजी सिंह, ग्राम- सोना गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला- पटना के आवेदन पत्र पर प्राथमिक क्रिये किया गया।

आवेदित भूमि मौजा- सोना गोपालपुर थाना नं०- 124, खाता संख्या- 474, प्लॉट नं०- 32, रकबा 0.14 डी० वसीका संख्या- 15944, दिनांक 18.05.12 के द्वारा श्रीमती प्रमिला देवी, पति- स्व० मेजर हरिनन्दन प्रसाद सिन्हा, बहैसियत माता वो वली गार्जियन 'वो संरक्षक मिन्जानिब ओम कृपा राणा दिगिन्द्र सिन्हा पुत्र नाबालिग ग्राम- डिहरा, थाना- हरनौत, जिला- नालन्दा से खरीद किया है।

आवेदक के आवेदन पत्र का जांच राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराया गया जो अभिलेख में संलग्न है राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर क्रय एवं विक्रेता एवं सभी जमाबंदी रैयत को सूचना निर्गत किया गया।

सूचनापत्रांत आवेदक एवं सभी जमाबंदी रैयत स्वयं एवं अधिवक्ता के माध्यम से विवेकपूर्वक विधियों को न्यायालय में उपस्थित हुए।

अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन का अयोजक एवं आवेदक तथा अन्य जमाबंदी रैयत के दस्तावेज के अवलोकन करने के पश्चात पाया की प्रथम पक्ष आवेदक की ओर से जमा किया गया दस्तावेज के रूप में सर्व खतियान की सच्ची प्रतिलिपि को अवलोकन में पाया की मौजा-सोना गोपालपुर, थाना नं०-124, खाता सं०-474, प्लॉट नं०-32, रकबा-53डी० के सर्वे रैयत राम अवतार व महावीर पसरान ईभरीत कौम-मल्लाह सा०-पुनाईक का नाम दर्ज है।

वसीका सं०-10360/दिनांक-08.06.09 के द्वारा विक्रेता श्री फेकन केवट, वल्द-स्व० मोदर केवट, बगैरह से ओम कृपा राणा दिगिन्द्र सिन्हा सहायिक गार्जियन मेजर हरिनन्दन प्रसाद सिन्हा के साथ मौजा-सोना गोपालपुर, थाना नं०-124, खाता सं०-474, प्लॉट नं०-32, रकबा-14डी० जमीन बिक्री किया गया जिनके नाम से जमाबंदी संख्या-2022 पर कायम खारिज केश नं०-1452/3, वर्ष-2009-10 के द्वारा जमाबंदी कायम हो कर रसीद निर्गत है।

वसीका सं०-7520/दिनांक-24.04.2009 के द्वारा विक्रेता कन्हैया प्रसाद केवट, वल्द-स्व० सौखी प्रसाद केवट से श्री हरिनन्दन प्रसाद सिन्हा, वल्द-स्व० जती सिंह, ग्राम-डिहरा, थाना-हरनौत, जिला-नालन्दा के साथ-सोना गोपालपुर, थाना नं०-124, खाता सं०-474, प्लॉट नं०-32, रकबा-14डी० भूमि बिक्री किया गया है। जिसका दाखिल खारिज केश नं०-1452/3, वर्ष-2009-10 के द्वारा मौजा-सोनागोपालपुर की जमाबंदी संख्या-2023 पर कायम हो कर रसीद निर्गत है।

वसीका सं०-15944/दिनांक-18.05.12 के द्वारा विक्रेता श्रीमती प्रमिला देवी, पति-स्व० मेजर हरिनन्दन प्रसाद सिन्हा, बहैसियत, माता वो वली गार्जियन ओम कृपा राणा दिगिन्द्र सिन्हा, ग्राम-डिहरा, थाना-हरनौत, जिला-पटना में श्री मनिल कुमार, पिता-श्री रामजी सिंह, ग्राम-सोना गोपालपुर, थाना-गोपालपुर, जिला-पटना के साथ मौजा-सोना गोपालपुर, थाना नं०-124, खाता



सं०-474, प्लॉट नं०-32, रकवा-14डी० जमीन बिक्री किया है। जिसमें आवेदक मनिल कुमार, आवेदक है।

अभिलेख में संलग्न द्वितीय पक्ष एवं पूर्व से कायम जमाबंदी एवं जमाबंदी रैयतों के संलग्न कागजात के अवलोकन करने से पता चला की मौजा-सोना गोपालपुर, थाना नं०-124, खाता सं०-474, प्लॉट नं०-32, में क्रमशः निम्न व्यक्तियों के नाम से रसीद कट रही है।

श्री मति चिंता देवी, पति-श्री विजय साव, खाता नं०-447, प्लॉट नं०-32, रकवा-1 कटवा वर्ष-92-93 से कट रही है।

श्री महेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, पिता-श्री सुखदेव प्रसाद विश्वकर्मा, के नाम से खाता नं०-447, प्लॉट नं०-32, रकवा-10धुर जमीन की रसीद 92-93 से कट रही है।

श्री रामजी विश्वकर्मा, पिता-श्री सुन्दर विश्वकर्मा के नाम से खाता -474, प्लॉट-32, रकवा- 16 धुर 10 धुरकी जमीन की रसीद कटती है।

विराज देवी, पति- नन्दु शर्मा, साकिन-मिर्जापुर, के नाम से खाता-474, प्लॉट-32 रकवा-10 धुर जमीन की रसीद कटती है।

श्रीमति सावित्री देवी, पति- राजेन्द्र प्रसाद चौंसिया, साकिन-बरबिगहिया के नाम से खाता-474, प्लॉट-32, रकवा-1 कटवा 10 धुर जमीन की रसीद कटती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौंसिया, पिता- राम प्रसाद तमौली, के नाम से खाता-474, प्लॉट-32 रकवा- 1 कटवा 10 धुर जमीन की रसीद कटती है।

आदित्य नारायण , पिता-विष्णु विश्वकर्मा, साकिन-घिनारी, के नाम से खाता-474, प्लॉट-32, रकवा- 1 कटवा की जमीन की रसीद कटती है।

श्री सवेन्द्र कुमार सिंह, पिता- रामेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से खाता-474, प्लॉट-32, रकवा- 0.4 / 1/2, डी० भूमि की रसीद कटती है।

श्री सवेन्द्र कुमार सिंह, पिता- रामेश्वर सिंह के नाम से खाता-474, प्लॉट-32, रकवा-10 धुर की रसीद कटती है।

श्रीमती लता सिन्हा, पति- श्री रजनी कुमार सिन्हा, साकिन-खजौंची रोड के नाम से खाता-474, प्लॉट-32, रकवा- 3 कटवा की जमीन की रसीद कटती है।

इस प्रकार दोनों पक्षों के दस्तावेज तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से प्रतिष्ठित होता है कि आवेदक श्री मनिल सिंह का खरीद किया गया भूमि खातियानों रैयत के संलग्न से खरीद किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक का दखल कर्कम बताया गया है परन्तु आवेदित भूमि की रसीद पूर्व से क्र० 1 से 10 व्यक्तियों के नाम से कट रही है जिसे रद्द करना अंचलाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचलाधिकारी

सम्पत्तचक्र, पटना।



अंचलाधिकारी

सम्पत्तचक्र, पटना।